निग0 5625/2018/रीवा/भू0रा0

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

1– वीरेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 गिरजा प्रसाद शुक्ल, उम्र 53 वर्ष,

2– इन्द्रवती पत्नी स्व0 श्री गिरजा प्रसाद, उम्र 81 वर्ष,

3– राजकुमार तनय स्व0 उमेश कुमार, उम्र 31 वर्ष,

4– विमला पुत्री स्व0 उमेश कुमार उम्र वर्ष,

सभी निवासी ग्राम बर्रेही, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्तागण

बनाम्

1– रजनीश कुमार पिता स्व0 रामाधार शुक्ल, उम्र 47 वर्ष,

2– राकेश कुमार पिता स्व0 रामाधार शुक्ल, उम्र 40 वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम जोगिनिहाई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

3– गायत्री देवी पुत्री स्व0 रामाधार शुक्ला, पत्नी विनोद कुमार मिश्रा, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

4– पुष्पा पुत्री स्व0 रामाधार शुक्ला, पत्नी अनिल मिश्रा, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

5– मुण्डी देवी पुत्री स्व0 सालिकराम शुक्ल, पत्नी जगदीश प्रसाद तिवारी, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम नेवरिया, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

6– निवेन्द्र प्रसाद तनय रामसखा मिश्रा, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम बर्रेही, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

7– विजय कुमार मिश्रा तनय रामस्वयंबर मिश्रा, उम्र वर्ष, निवासी ग्राम बर्रेही, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

वीरेन्द्र कुमार शुक्ला

(22)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5695/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

वीरेन्द्र प्रसाद/ रजनीश कुमार वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री दिवाकर त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 998/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।. सदस्य	